

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: jdacad1960@gmail Ph 0141-2706550

कर्मोंक:-एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/रिफ्रेशर/2021/162

दिनांक :- 13-7-2021

आदेश

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत निम्न सह/सहायक आचार्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स करने हेतु एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:-

क.सं.	नाम (सह/सहायक आचार्य)श्री/सुश्री/डॉ०/श्रीमती	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स का नाम	का	कोर्स की अवधि	संस्थान जहां से कोर्स किया जाना है
1.	मुनेश लाल मीना	रसायन शास्त्र	राज० कन्या महा०, करौली	14.7.21 से 28.7. 2021	से	रिफ्रेशर	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
2.	मुकेश कुमार मीना	बनस्पति शास्त्र	राज० महा०, रतनगढ, जिला चूरू	15.7.21 से 29.7.21	से	रिफ्रेशर	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
3.	प्रवीण कुमार चंदेल	बनस्पति शास्त्र	राज० पीजी महा०, बाडमेर	20.7.21 से 03.8.21	से	रिफ्रेशर	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
4.	ज्योति कुमारी	हिन्दी	राज० महा०, बहरोड	23.7.21 से 6. 8.21	से	रिफ्रेशर	रामानुजन कॉलेज, दिल्ली
5.	संदीप कच्छावाहा	संस्कृत	राज० महा०, जैतारण, जिला पाली	4.8.21 से 17. 8.21	से	रिफ्रेशर	एचआरडीसी, जयनारायण व्यास विश्व०, जोधपुर
6.	खेमराज चौधरी	भूगोल	राज० महा०, सिरोही	16.8.21 से 29.8.21	से	रिफ्रेशर	एचआरडीसी, गुजरात विश्व०, अहमदाबाद
7.	मल्लिका परवीन	विधि	राज० विधि पीजी महा०, बीकानेर	6.9.21 से 19. 9.21	से	रिफ्रेशर	एचआरडीसी, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

कर्मोंक:-एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/रिफ्रेशर/2021/162

दिनांक 13-7-2021

प्रतिलिपि :-

1. सम्बन्धित प्राचार्य निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

(अ) प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस.के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।

(ब)संबन्धित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैण्ड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे है तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

2. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु ।

(डॉ० सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)